

उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ।

पत्रांक- 691 /07(2026)/अधियाचन(विज्ञापन)/2026-27 दिनांक:- 28 /अप्रैल/2026

विज्ञापित

संशोधित विज्ञापन सहायक आचार्य-बी०एड० (वि०स०-51)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-51 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के 1017 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य-बी०एड० के 107 पद भी सम्मिलित थे। आवेदन की अन्तिम तिथि 31.08.2022 थी।

विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-12803/2022 अंजू व 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक- 09.12.2022 द्वारा सहायक आचार्य बी०एड० की अर्हता एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन-2014 के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश पारित किया गया था, तत्पश्चात उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा दिनांक 23.05.2025 को पुनः संशोधित विज्ञापन (विज्ञापन संख्या- 51) जारी किया गया था, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 23 जून 2025 निर्धारित की गयी थी। विज्ञापन के उपरान्त पुनः अर्हता सम्बन्धी आपत्तियों के कारण विज्ञापन को दोबारा निरस्त करते हुए अर्हता के सम्बन्ध में प्रकरण शासन के उच्च शिक्षा विभाग को सन्दर्भित किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या- 284/सत्तर-1-2026 लखनऊ, दिनांक: 12 फरवरी, 2026 व संशोधन आदेश दिनांक: 11 मार्च, 2026 द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु सहायक आचार्य पद की विद्यमान अर्हता को प्रतिस्थापित करते हुये उपलब्ध कराया गया है।

अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.12.2022 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या- 17719/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 के अनुपालन में पुनः सहायक आचार्य-बी०एड० के 107 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन संख्या-51 की अन्तिम तिथि 31.08.2022 तक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के उपरोक्त कार्यालय आदेश द्वारा एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन-2014 के अनुसार निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट- www.upessc.up.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन करें।

नोट- आयोग द्वारा पूर्व में जारी सहायक आचार्य बी०एड० के विज्ञापन दिनांक 09.07.2022 व दिनांक 23.05.2025 (संशोधित विज्ञापन) में आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भी पुनः आवेदन किया जाना है। इस हेतु पूर्व आवेदन का आवेदन संख्या (Application Number) का विवरण उनके रजिस्टर्ड मो० नं० पर एस०एम०एस० व रजिस्टर्ड ई-मेल पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संख्या (Application Number) का प्रयोग कर पुनः नवीन आवेदन किया जाना है परन्तु इस हेतु उन्हें निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। इसके अतिरिक्त पूर्व में आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जो विस्तृत विज्ञापन के "बिन्दु 6- अनिवार्य शैक्षिक योग्यता" में उल्लिखित अर्हता दिनांक 31.08.2022 तक पूर्ण न करते हों वे कार्यालय कार्यदिवस में "सचिव उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज" के नाम से सम्बोधित प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन की प्रति एवं बैंक विवरण (रद्द चेक) संलग्न कर अपना आवेदन शुल्क वापस प्राप्त कर सकते हैं।

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| • ऑनलाइन आवेदन व शुल्क भुगतान प्रारम्भ होने की तिथि | - | 28 अप्रैल, 2026 |
| • आनलाइन आवेदन व शुल्क जमा /भुगतान करने की अन्तिम तिथि | - | 27 मई, 2026
(अपराह्न 11:59 बजे तक) |
| • ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अन्तिम तिथि | - | 30 मई, 2026 |
| • परीक्षा की तिथि | - | 28 जुलाई, 2026 |


सचिव,

उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग,

प्रयागराज।

विज्ञापन संख्या-51 में विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य (बी0एड0) के चयन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश-

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्देश	1-2
2.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	2-3
3.	आवेदन शुल्क	3-4
4.	रिक्तियों का विवरण	4-5
5.	अधिकतम आयु तथा वेतनमान	5
6.	आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश	5-6
7.	अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ	6
8.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया (User Manual)	6-7
9.	आरक्षण	7
10.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	7-8
11.	चयन का आधार	8
12.	अधिमानता	8-9
13.	साक्षात्कार के लिए निर्देश	9-10
14.	सारिणी- 01 : सहशिक्षा/महिला महाविद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण	11
15.	सारिणी- 02 : वर्गवार अधियाचित पदों का विवरण/सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का विवरण	12-13
16.	परिशिष्ट- 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप	14
17.	परिशिष्ट- 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप	15
18.	परिशिष्ट- 3 : आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप	16
19.	परिशिष्ट- 4 : दिव्यांग (PH) का प्रमाण-पत्र	17
20.	परिशिष्ट- 5 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (DFP) आश्रित का प्रमाण-पत्र	18
21.	परिशिष्ट- 6 : नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने हेतु पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि यू.जी.सी. (एम. फिल./पी-एच.डी. की उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009/2016 के अनुसार होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रारूप	19
22.	परिशिष्ट- 7 : शपथ-पत्र (10 रुपये की नोटरी) में	20
23.	परिशिष्ट- 8 : User Manual ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु	21-53



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य बी0एड0 की प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2026:-

महत्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन व शुल्क भुगतान प्रारम्भ होने की तिथि	-	28 अप्रैल, 2026
आनलाइन आवेदन व शुल्क भुगतान करने की अन्तिम तिथि	-	27 मई, 2026 (अपराह्न 11:59 बजे तक)
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अन्तिम तिथि	-	30 मई, 2026
अन्यर्थी के परीक्षा जनपद की सूचना तिथि	-	18 जुलाई, 2026
आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि	-	25 जुलाई, 2026
परीक्षा की तिथि	-	28 जुलाई, 2026

महत्वपूर्ण निर्देश

तत्कालीन उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-51 द्वारा प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के कुल 1017 पदों पर आनलाइन आवेदन 09 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, एवं आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 थी। इस विज्ञापन के अन्तर्गत ही सहायक आचार्य बी0एड0 के 107 पदों हेतु भी आवेदन मांगे गये थे परन्तु विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त सहायक आचार्य बी0एड0 की अर्हता N.C.T.E मानकों के अनुरूप न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या- 12803/2022 अन्जु व 02 अन्य योजित की गयी। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.12.2022 द्वारा सहायक आचार्य बी0एड0 के 107 पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः N.C.T.E मानकों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया। इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 09.12.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-17719/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 के अनुपालन में एवं शासनादेश संख्या-1/876745/2025/सत्तर-2099/8/2025 उच्च शिक्षा अनुभाग -2 लखनऊ दिनांक 10.02.2025 द्वारा N.C.T.E REGULATIONS-2014 के अनुसार बी0 एड0 की संशोधित अर्हता पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त सहायक आचार्य बी0एड0 के 107 पदों पर संशोधित विज्ञापन दिनांक 23 मई 2025 को प्रकाशित किया गया, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 23 जून 2025 थी।

संशोधित विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त पुनः मा0 उच्च न्यायालय में अर्हता सम्बन्धित वाद योजित होने के दृष्टिगत आयोग की विज्ञापित संख्या-1363/(2025)/अधियाचन/2025-26 दिनांक 26.08.2025 द्वारा इस संशोधित विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः सहायक आचार्य बी0एड0 की अर्हता का निर्धारण करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था जिसके क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-284/सत्तर-1-2026 लखनऊ उच्च शिक्षा अनुभाग- 1 लखनऊ दिनांक 12 फरवरी 2026 व संशोधन आदेश दिनांक: 11 मार्च, 2026 द्वारा N.C.T.E REGULATIONS-2014 के अनुसार बी0एड0 की संशोधित शैक्षिक अर्हता पर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यह विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य बी0एड0 के कुल 107 पदों का आरक्षित श्रेणीवार, विवरण सारिणी-01 में दिया गया है। इन पदों के सापेक्ष चयन हेतु



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

तत्कालीन विज्ञापन संख्या-51 में आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक N.C.T.E REGULATIONS-2014 के अनुसार सहायक आचार्य-बी0एड0 की शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (Submit) करना है। इस ऑनलाइन विज्ञापन में दिनांक 09 जुलाई 2022 को उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-51 के अन्तर्गत सहायक आचार्य बी0एड0 के पद पर आवेदन करने वाले तथा दिनांक 23 मई 2025 को जारी संशोधित विज्ञापन संख्या-51 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी (जो बिन्दु-6 अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में उल्लिखित अर्हता धारित करते हों) पुनः नवीन आवेदन करना है परन्तु उन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। नवीन आवेदन करने हेतु उनके रजिस्टर्ड मो0 नम्बर व रजिस्टर्ड ई-मेल पर उनके पुराने आवेदन का एप्लीकेशन नम्बर प्रेषित किया गया है, जिसका प्रयोग कर उनके द्वारा नवीन आवेदन सबमिट किया जाना है, साथ ही जो अभ्यर्थी इस विज्ञापन के "बिन्दु-6 अनिवार्य शैक्षिक योग्यता" में उल्लिखित अर्हता को दिनांक 31.08.2022 तक पूर्ण न करते हों, वे कार्यालय कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन की प्रति एवं विस्तृत बैंक विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, खाता संख्या, अंकित रद्द चेक) देकर अपना आवेदन शुल्क वापस प्राप्त कर सकते हैं।

1.- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-

- 1.1. इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति (Online Application Submission System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन ही आवेदन करें।
- 1.2. आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर दिये गये लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है।
- 1.3. "ऑनलाइन" आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
- 1.4. आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से सम्बन्धित निम्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं; जिनका आवेदन से पूर्व सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये:-
 - 1.4.1. सहायक आचार्य बी0एड0 विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम
 - 1.4.2. विज्ञापित विषय की श्रेणीवार रिक्तियाँ
 - 1.4.3. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश
 - 1.4.4. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य अनुदेश
 - 1.4.5. उपलब्ध विषय के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ
- 1.5. "ऑनलाइन" आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो कार्यालय कार्य दिवस में आयोग के हेल्पलाइन नम्बर-0532-2466851 पर (प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 तक) सम्पर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु हेल्पलाइन नं0 9899677276 व ई-मेल bed.support@upessc.org पर सम्पर्क कर सकते हैं तथा शुल्क के भुगतान करने विषयक समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नं0 7506079137, 9667759916 एवं 8657442173 व ई-मेल alliancesupport@ccavenue.com, abhishek.manghnani@avenues.info, व aourabh.vinod@avenues.info पर सम्पर्क कर सकते हैं।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

- 1.6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों/परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 1.7. आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने अथवा 31 अगस्त, 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।
- 1.8. निर्धारित साइज की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 1.9. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 1.10. आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि अर्थात् 31 अगस्त, 2022 तक अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उनके लिए विज्ञापन में दी गयी तिथि पर अर्हता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 1.11. ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात् आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमत्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सही-सही भरें। गलत जेन्डर (लिंग) भरने अथवा जेन्डर (लिंग) के अनुरूप फोटो चस्पा न करने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा अतः गलत जेन्डर (लिंग) न भरें और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचना अन्तिम होगी, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 1.12. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 1.13. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

2.- आवेदन शुल्क :-

उक्त पद के आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार है:-

(अ) श्रेणीवार आवेदन शुल्क :-

क्रमांक	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग	2000.00/-
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2000.00/-
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2000.00/-
4	अनुसूचित जाति	1000.00/-
5	अनुसूचित जनजाति	1000.00/-



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

(ब) आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि :-

S.N.	Payment Modes	Rates Applicable
1	Debit Card (Ru-Pay)	Nil
2	Debit Card up to (<=Rs. 2000.00) Master / Visa	0.32%
3	Debit Card up to(>Rs. 2000.00) Master / Visa	Rs.18.00
4	Credit Cards (Master/Visa/Rupay/Diners)	0.82%
5	Internet Banking SBI	Rs. 15.50
6	Internet Banking of HDFC, AXIS, ICICI	Rs. 10.50
7	Internet Banking of KOTAK	Rs.11.00
8	Internet Banking of FEDERAL YES	Rs. 8.00
9	Internet Banking of INDIAN BANK	Rs. 5.00
10	Internet Banking of OTHER BANK	Rs. 5.50
11	UPI	NIL
12	Wallets	1.65%
13	NEFT/RTGS	Rs. 3.00

नोट:-

1. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान (Mode) के आधार पर दिये गये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करें। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी।
2. अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किये जायेंगे। अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

3.- रिक्तियों का विवरण :-

- 3.1. विभिन्न महाविद्यालयों में बी0एड0 विषय के रिक्त 107 पदों का श्रेणीवार, विद्यालयवार विवरण (शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना) सारिणी-01 व 02 पर उपलब्ध है।
- 3.2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक आचार्य के विषय/महाविद्यालयवार 107 पदों के अध्याचन में क्षैतिज आरक्षण (दिव्यांगजन हेतु- 4 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु-2 पद एवं सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु आरक्षित-27 पद) दर्शाया गया है।
- 3.3. उपर्युक्त सारिणी- 01 व 02 में श्रेणीवार पदों की संख्या शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।
- 3.4. उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

3.5. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, तथा आरक्षण की स्थिति शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर साक्षात्कार से पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें तदनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

4.- अधिकतम आयु तथा वेतनमान :-

4.1 इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु दिनांक 31.08.2022 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.2 सहायक आचार्य पद का वेतनमान-रु० 15600.00-39100.00 ग्रेड वेतन-6000 है तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते अनुमन्य होंगे।

5.- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश :-

5.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

5.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

5.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/दिव्यांगजन को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।

5.4 उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो।

ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

5.5 ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है तथा उक्त प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग में होने का दावा किया है, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत हो, तभी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा।

5.7 जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें, जिसे माँगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है। साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5.8 ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/ पति अथवा ऐसी महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

ही एक जीवित पत्नी/पति है, पात्र नहीं समझे जाएँगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो।

5.9 आवेदन-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन अन्तिम रूप से आवेदन-पत्र सबमिट (SUBMIT) करने से पूर्व ही किया जा सकता है। आवेदन-पत्र एक बार सबमिट (SUBMIT) हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

5.10 अभ्यर्थी के विरुद्ध मा० न्यायालय में वाद दायर होने अथवा न होने या मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिये जाने अथवा छिपाये जाने या गलत सूचना दिये जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को समाप्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6.- अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :-

इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य-बी०एड०पद हेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अधोलिखित वर्णित हैं :-

असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य/प्रवक्ता बी०एड० हेतु न्यूनतम अर्हताएं :-

(i) विज्ञान/गणित/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक उपाधि

एवं

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम०एड० उपाधि

अथवा

विज्ञान/गणित/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक उपाधि

एवं

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ शिक्षाशास्त्र विषय में परास्नातक उपाधि और न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी०एड० उपाधि या समकक्ष उपाधि

(ii) शिक्षाशास्त्र विषय में UGC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण

अथवा

शिक्षाशास्त्र विषय में पीएच०डी० या डी० फिल उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच०डी० उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम-2009 के अनुसार पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त की है।

नोट- उ०प्र० शासन द्वारा आरक्षण नियमों से अच्छादित सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट होगी।

7.- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बी०एड० पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया User Manual का लिंक नये व पुराने अभ्यर्थियों के लिए हिन्दी व English भाषा में पोर्टल पर



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

प्रदर्शित है। कृपया अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसे सावधानी पूर्वक अवश्य पढ़ लें तत्पश्चात ही आवेदन करें।

8.- आरक्षण :-

- केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे का कोई आरक्षण लाभ अनुमन्य नहीं है।
- आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में परिशिष्ट-1 एवं 2 में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, जो आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब भी अपेक्षा की जाये तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

9.- लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

- परीक्षा की तिथि, स्थान समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना SMS, ई-मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा/चयन तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं /चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024, दिनांक 06 अगस्त 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।
- अभ्यर्थी परीक्षा हाल में काला बाल पेन अपने साथ अवश्य लायें तथा ओ.एम.आर. शीट के गोले को काले बाल पेन से ही भरें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा और न ही उस पर कोई अंक दिया जायेगा।
- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा उ0प्र0 शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- आई0/210789/2022/65-3099/135/2022 दिनांक 08 सितम्बर, 2022 में अनुमन्य व्यवस्थानुसार दी जायेगी। श्रुति लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ-पत्र उन्हें



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

कक्ष निरीक्षक को देना होगा। श्रुति लेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व तक अवश्य करा लें, ताकि उनकी बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुति लेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

- लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हों, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जायेंगे। किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है कि आप आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10.- चयन का आधार :-

चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित विषय) होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 (सामान्य ज्ञान के 60+वैकल्पिक के 140) एवं साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। प्रश्नगत् परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं सम्बन्धित विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न-2 अंकों का होगा। दोनों में (200+30= 230) प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जायेगी। प्रश्नपत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी।

- प्रश्नगत् पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना SMS/ई-मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जायेगा। सहायक आचार्य के चयन हेतु प्रश्नगत् विषय का पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://upessc.up.gov.in/> के Examination बटन पर क्लिक करने के पश्चात प्रदर्शित होने वाले Syllabus पर क्लिक करके देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

11.- अधिमानता :-

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालयवार वरीयता का विकल्प ऑनलाइन देना होगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमानता क्रम उन पर बाध्यकारी होगा।
- अभ्यर्थी विज्ञापित समस्त महाविद्यालयों को अधिमानता/वरीयताक्रम में इंगित कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा आवंटित महाविद्यालय ही उन्हें स्वीकार करना होगा।
- पुरुष अभ्यर्थी महिला महाविद्यालयों को अधिमानता/वरीयताक्रम में इंगित न करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। महिला अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के लिए अधिमानता/वरीयताक्रम इंगित कर सकती हैं।
- महिला महाविद्यालयों की रिक्ति के समान ही महिला अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें सर्वप्रथम महिला महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जायेगा अर्थात् महिला महाविद्यालयों की यदि पाँच रिक्तियों के प्रति केवल पाँच ही महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन सभी महिला अभ्यर्थियों को महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जायेगा। यदि रिक्ति से अधिक महिला



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

अभ्यर्थियों का चयन होता है तो उस स्थिति में रिक्ति से अधिक महिला नियुक्त होने पर योग्यताक्रमानुसार रिक्ति से अधिक महिलाओं को सहशिक्षा महाविद्यालयों में अधिमानता देने का अधिकार होगा।

- अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु महाविद्यालयों का आवंटन शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।
- आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति) के अभ्यर्थी आरक्षित महाविद्यालयों के अतिरिक्त अनारक्षित महाविद्यालयों को भी अपनी अधिमानताक्रम में इंगित कर सकते हैं। किन्तु अनारक्षित श्रेणी के मेरिट में चयनित होने की दशा में ही उन्हें अनारक्षित महाविद्यालय योग्यताक्रमानुसार आवंटित किया जाएगा।
- महाविद्यालयवार एवं विषयवार आरक्षण व्यवस्था प्रख्यापित होने के कारण अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षित महाविद्यालयों को छोड़कर ही (अनारक्षित महाविद्यालयों को) अपनी अधिमानता/वरीयताक्रम इंगित करेंगे।
- प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी आयोग द्वारा महाविद्यालयवार/विषयवार विज्ञापित रिक्तियों की सूची के सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त उक्त निर्देशों के क्रम में अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार महाविद्यालयों के अधिमानता/वरीयताक्रम को इंगित करेंगे।

12.- साक्षात्कार के लिए निर्देश :-

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, व समय की सूचना SMS/ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जायेगा।

- साक्षात्कार के समय अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु० 800.00 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रु० 400.00 मात्र साक्षात्कार शुल्क का भुगतान आयोग कार्यालय/ पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ-साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
 1. हाईस्कूल अंक पत्र
 2. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र
 3. इण्टरमीडिएट अंक पत्र
 4. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र
 5. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का अंक-पत्र
 6. स्नातक उपाधि
 7. स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का अंक-पत्र
 8. स्नातकोत्तर उपाधि
 9. बी०एड० उपाधि
 10. पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि
 11. पी-एच.डी./डी.फिल. उपाधि यू.जी.सी. (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम-2009/2016 के अनुसार होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण-पत्र
 12. नेट/सेट/स्लेट प्रमाण-पत्र
 13. जे.आर.एफ.
 14. डी.लिट./डी.एस-सी./एल.एल.डी. उपाधि
 15. अनापत्ति प्रमाण-पत्र (केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए) मूल रूप में



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज प्रयागराज, 211002

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
17. विकलांग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
18. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
19. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)
20. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र
21. दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में (नवीनतम तिथि का बना हुआ)
22. आधार कार्ड/पैनकार्ड/निवास प्रमाण-पत्र (कोई एक प्रमाण-पत्र)
23. मा. न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद योजित होने की स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने संबंधी शपथ-पत्र।

सचिव

उ०प्र० शिक्षा सेव चयन आयोग,
प्रयागराज।

सारणी -1

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य बी0एड0 के अधियाचित पदों पर लागू क्षैतिज आरक्षण का विवरण							
क्र०सं 0	विषय	कुल पद	सहशिक्षा महाविद्यालय के पद	महिला महाविद्यालय के पद	महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण (20 प्रतिशत)	दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु आरक्षित पद
1	बी0एड0	107	80	27	0	4	2

सारिणी - 2

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य बी0एड0 के अधियाचित पदों पर लामू क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	महिला महाविद्यालयों के सम्मुख महिला महाविद्यालय अंकित किया गया है।		रोस्टर के आधार पर वर्गवार अधियाचित पदों की संख्या				
				GEN	EWS	OBC	SC	ST
1	मुनीश्वर दत्त स्ना० महाविद्यालय, प्रतापगढ़		3	1	0	1	1	0
2	मदन मोहन मालवीय पी०जी० कालेज कालाकांकर, प्रतापगढ़		3	1	0	1	1	0
3	दयानन्द महिला ट्रेनिंग कालेज, कानपुर नगर	महिला महाविद्यालय	2	1	0	0	1	0
4	डी०ए०वी० ट्रेनिंग कालेज, कानपुर		4	1	1	2	0	0
5	डी०वी०एस० कालेज, कानपुर		1	1	0	0	0	0
6	प्रो० एच०एन० मिश्रा कालेज आफ एजुकेशन, कानपुर		3	2	0	1	0	0
7	आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, कानपुर	महिला महाविद्यालय	1	1	0	0	0	0
8	पं० जवाहर लाल नेहरू कालेज, बांदा		1	0		0	1	0
9	दयानन्द वैदिक कालेज उरई, जालौन		3	1	0	1	1	0
10	ब्रह्मानन्द पी०जी० कालेज राठ, हमीरपुर		5	2	0	2	1	0
11	अतर्रा पी०जी० कालेज, अतर्रा, बांदा		5	3	0	1	1	0
12	राजा बलन्त सिंह कालेज, आगरा		2	0	0	0	2	0
13	धर्म समाज कालेज, अलीगढ़		1	1	0	0	0	0
14	आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद		1	0	0	1	0	0
15	स्वामी शुकदेवानन्द कालेज, शाहजहांपुर		3	1	0	1	1	0
16	दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय, मुरादाबाद	महिला महाविद्यालय	3	1	0	2	0	0
17	सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय, धामपुर, बिजनौर	महिला महाविद्यालय	2	1	0	1	0	0
18	हिन्दू कालेज, मुरादाबाद		1	1	0	0	0	0
19	नवल किशोर भरतिया म्युनिसिपल गर्ल्स डिग्री कालेज चन्दौसी, सम्भल	महिला महाविद्यालय	1	1	0	0	0	0
20	गोकुल दास हिन्दु गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद	महिला महाविद्यालय	4	2	0	1	1	0
21	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ, जौनपुर		1	0	0	1	0	0

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	महिला महाविद्यालयों के सम्मुख महिला महाविद्यालय अंकित किया गया है।	रोस्टर के आधार पर वर्गवार अधियाचित पदों की संख्या					
			GEN	EWS	OBC	SC	ST	
22	तिलकधारी पी०जी० कालेज, जौनपुर		1	0	0	1	0	0
23	सकलडीहा पी०जी० कालेज, चन्दौली		10	4	1	3	2	0
24	श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़	महिला महाविद्यालय	4	1	1	2	0	0
25	गांधी स्मारक पी०जी० कालेज, समोधपुर, जौनपुर		2	1	0	1	0	0
26	श्री नारायण गर्ल्स पी०जी० कालेज, उन्नाव	महिला महाविद्यालय	6	2	1	2	1	0
27	रणवीर रणन्जय पी०जी० कालेज, अमेठी		4	1	1	2	0	0
28	कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर		2	1	0	0	1	0
29	युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी		1	0	0	1	0	0
30	राम नगर पी०जी० कालेज, रामनगर, बाराबंकी		3	2	0	1	0	0
31	फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली		1	1	0	0	0	0
32	महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	2	1	0	1	0	0
33	खुनखुन जी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	1	0	0	0	1	0
34	नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	महिला महाविद्यालय	1	0	0	1	0	0
35	बी०एन० के०बी० कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर		1	1	0	0	0	0
36	एम०एल०के० पी०जी० कालेज, बलरामपुर		4	2	1	1	0	0
37	का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या		4	2	0	1	1	0
38	हीरा लाल राम निवास पी०जी० कालेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर		1	0	0	0	1	0
39	हंडिया पी०जी० कालेज, हंडिया, प्रयागराज		5	2	1	1	1	0
40	श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा		3	1	0	1	1	0
41	डॉ० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, दिंदुई, प्रतापगढ़		1	0	0	1	0	0
कुल पद :-			107	44	7	36	20	0

परिशिष्ट-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... सुपुत्र / सुपुत्री श्री
..... निवासी ग्राम..... तहसील.....
नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की.....
जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी
गयी है।

श्री / श्रीमती / कुमारी..... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में
सामान्यता रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
सुपुत्र / सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला

उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
पूर्योक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है से अछादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथाविहित छुट्ट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री / श्रीमती / कुमारी तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम तहसील नगर
जिला में सामान्यता रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

मुहर

पद का नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी माजिस्ट्रेट / तहसीलदार

परिशिष्ट-3
उत्तर प्रदेश सरकार


कार्यालय का नाम.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष..... के लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पति/पुत्रीग्राम/कस्बा.....
पोस्ट ऑफिस.....थाना.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....

पिन कोड.....के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्थामित्य में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इसके ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....
के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी /सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-4

30 प्रो के विकलांगों के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप **CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.**

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL _____

Certificate No. _____

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum. _____ son/daughter of Shri _____

age _____ sex _____ Identification card(s) _____ is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Sliff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment:

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/sticky to improve/not likely to improve. Re-reversal of this case is not recommended/ is recommended after a period of _____ year _____ months.

3. Percentage of disability in his/her case is _____ percent.

4. Shri/Smt/Kum. _____ meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) Y-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PF-can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) EE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr. _____)

Member
Medical Board

(Dr. _____)

Member
Medical Board

(Dr. _____)

Chairman
Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/IC Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.....
निवासी..... ग्राम तहसील
नगर जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/ पौत्री अविवाहित उपरंकित 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
.....
पूरा नाम
.....
मुहर
बिलाधिकारी

(सीए)

परिशिष्ट - 6

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr./Ms. _____
Son/Daughter/Wife of Shri. _____ was awarded
Ph.D./D.Phil. Degree in the subject of _____ on the
topic" _____
_____ "with the Enrolment No. _____, by this University
in the year _____. As per University records his/her Ph.D./D.Phil. degree is in
accordance with the UGC (Minimum standards and procedure for awards of M.Phil./
Ph.D. degree) Regulation, 2009/2016.

Date :

REGISTRAR

परिशिष्ट-7

शपथ-पत्र

- 1 मैंने विज्ञापन सं0-51 में विनिहित अनुदेश / निर्देश को भली भाँति पढ़कर ही आन-लाइन आवेदन किया है और मैं उक्त सभी अनुदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा / करूँगी।
- 2 आन-लाइन आवेदन-पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा स्वयं भरी गयी हैं, जो तथ्यात्मक सत्य एवं पूर्ण हैं। आवेदन-पत्र में की गयी सभी प्रविष्टियाँ एवं आयोग को उपलब्ध करायी गयी, स्वप्रमाणित संलग्नकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा फर्जी पाये जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।
- 3 किसी भी मा0 न्यायालय द्वारा मुझे किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए न तो दण्डित किया गया है और न ही किसी भी नियुक्ति हेतु आवेदन करने से प्रतिबन्धित किया गया है।
- 4 विज्ञापन सं0-51 के चयन से संबंधित योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्णतया पालन करूँगा / करूँगी।
- 5 मैं यह वचन देता / देती हूँ कि आन-लाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गई सभी प्रविष्टियाँ एवं उपलब्ध कराये गए सभी अभिलेख / प्रमाण- पत्र सही हैं। आन-लाइन आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ अथवा आयोग को उपलब्ध कराये गये अभिलेख / प्रमाण- पत्र फर्जी / असत्य पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन / चयन निरस्त करने अथवा भविष्य में अन्य विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने से प्रतिबंधित करने का आयोग को पूर्ण अधिकार होगा। आयोग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के लिए मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
- 6 मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि साक्षात्कार बोर्ड या उसके किसी सदस्य को प्रभावित करने हेतु कोई प्रयास नहीं करूँगा / करूँगी और मुझे पता है कि इस तरह के प्रयास से मुझे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

प्रार्थी